चौथे राज्य वित्त आयोग के लिए सुझाव व मांगें

चुने गए प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला तथा बार्क के अध्ययन पर आधारित

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302005
फोन/फैक्स – 0141–2385254
E-mail: info@barcjaipur.org
Web: www.barcjaipur.org

चौथे राज्य वित्त आयोग के सन्दर्भ में स्थानीय निकायों की चिंताऐं, सुझाव व मांगें –

राज्य सरकार ने चौथे वित्त आयोग का गठ़न 11 अप्रेल 2011 में किया। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को 1 अप्रेल 2011 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें देनी हैं। आयोग को राज्य में मुख्यतः निम्न चार बिन्दुओं पर सुझाव देने हैं।

- आयोग स्थानीय निकायों को वर्ष 2010 से 2015 तक राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायतों तथा शहरी निकायों को राशि जारी करने से संबंधित सुझाव देगा।
- आयोग पंचायती राज व नगरीय निकायों के मध्य राशि वितरण से संबंधित सिफारिशें करेगा।
- आयोग ये सुझाव भी देगा कि किन करों, उपकरों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को पंचायती राज निकायों व नगरीय स्थानीय निकायों के अधीन किया जा सकता है।
- आयोग सभी स्तरों की पंचायतों व नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और उनके संबंध में सिफारिशें करेगा।

आयोग द्वारा अगले 5 वर्ष के लिए अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट राज्य सरकार को 31 दिसम्बर 2011 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आयोग ने 13 जुलाई 2011 को अन्तरिम प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया आयोग।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने इस संबंध में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को सुझाव देने एवं पंचायतों तथा शहरी निकायों के प्रतिनिधीयों के विचारों से आयोग को अवगत कराने के उद्देश्य से पंचायतों तथा शहरी निकायों के साथ अलग–अलग कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें राज्य वित आयोग के अध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहे।

साथ ही बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने पिछले वर्ष राज्य के चार जिलों में 'पंचायतों के बजट एवं आयोजना' पर एक अध्ययन किया था। जिससे पंचायतों की वित्तीय स्थिति की कुछ जानकारी मिलती है। साथ ही बार्क ने कुछ अन्य राज्यों जैसे बिहार (2011–15), केरल (2011–15) तथा आसाम (2011–15) के राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों का अध्ययन किया। इसके अलावा यू.एन.डी.पी. के द्वारा चलाये जा रहे विचार विमर्श वेबसाइट solutionexnchange.net.in पर विकेन्द्रीकरण समूह द्वारा वित्तीय विकेन्द्रीकरण से जुड़ी चर्चाओं का भी अध्ययन किया गया।

इस प्रकार अगले पृष्ठों पर दिए गए सुझावों को निम्नलिखित आधारों पर तैयार किया गया है।

1. पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वित्त आयोग के संदर्भ में कार्यशाला।
2. शहरी प्रतिनिधियों के साथ वित्त आयोग के संदर्भ में कार्यशाला।
3. बार्क द्वारा किए गए अध्ययन।
4. अन्य राज्यों के वित्त आयोगों की सिफारिशों का अध्ययन।
5. सोल्यूशन एक्सचेंज पर चर्चा का अध्ययन।

<u>राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को राशि वितरण</u> –

तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 2.25 प्रतिशत राशि का हस्तांतरण करने का सुझाव दिया गया था। इस संबंध में चौथे वित्त आयोग के लिए विभिन्न सुझाव मिले हैं।

<u>बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव</u> –

- स्थानीय निकायों के पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्य वित्त आयोग से मांग रखी कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा शुद्ध कर राजस्व में से 8 से 10 प्रतिशत राशि अगले वित्त आयोग के कार्यकाल में दी जानी चाहिए।

- स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों की राज्य वित्त आयोग से यह मांग उभर कर आयी की शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा शुद्ध कर राजस्व में से कम से कम 3.5 से 5 प्रतिशत राशि अगले वित्त आयोग के कार्यकाल में दी जानी चाहिए।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों की सिफारिशें –</u>

- केरल राज्य वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व में से स्थानीय निकायों का हिस्सा 3.5 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है।

- बिहार राज्य वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व मे से कम से कम 3 प्रतिशत स्थानीय निकायों को दिए जाने का सुझाव रखा है।

- आसाम राज्य वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व में से 14 प्रतिशत राशि स्थानीय निकायों को दिए जाने का सुझाव रखा है।

<u>बार्क के सुझाव –</u>

- बार्क द्वारा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला, अन्य राज्यों के वित्त आयोगों की सिफारिशों, सोल्युशन एक्सचेंज के विचारों का अध्ययन किया गया । इस संबंध मे बार्क का सुझाव का है कि स्थानीय निकायों को राज्य के कुल शुद्ध कर राजस्व में से 3 से 3.5 प्रतिशत राशि चतुर्थ वित्त आयोग के कार्यकाल में आवंटित की जानी चाहिए।

<u>स्थानीय निकायों (ग्रामीण व शहरी) के मध्य राशि वितरण</u> –

<u>अन्य राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशें –</u>

- केरल राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों (ग्रामीण व शहरी) के लिए राशि अनुपात 75. 93 : 24.07 निर्धारित करने का सुझाव रखा है

○ बिहार राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों का राशि अनुपात 70 : 30 रखने का सुझाव दिया है।

<u>**बार्क के सुझाव –**</u>

○ बार्क का स्वयं के अध्ययनों व क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर सुझाव है कि ग्रामीण व नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य राशि वितरण का अनुपात ग्रामीण व शहरी के लिए 75 : 25 का होना चाहिए।

<u>ग्रामीण स्थानीय निकायों के मध्य राशि वितरण</u> –

तृतीय राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज के तीनों स्तरों के निकायों के मध्य राशि आवंटन का अनुपात जिला परिषद्, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के लिए क्रमशः 3 :12 : 85 निर्धारित किया था।

<u>बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव</u> –

○ स्थानीय निकायों के पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग को पंचायतों के राशि वितरण के पैमानों में सुधार करना चाहिए और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को कुल राशि में से क्रमशः 75%, 15% व 10% राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

<u>अन्य आय के वितरण के लिए सुझाव –</u>

○ वर्तमान में भूमि रजिस्ट्री से प्राप्त राशि का हिस्सा केवल जिला परिषदों को ही जा रहा है अतः पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की मांग है। कि इस राशि का बंटवारा तीनों स्तरों के पंचायतों को समान रूप से हो।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों की सिफारिशें –</u>

○ बिहार राज्य वित्त आयोग ने तीनों स्तरों के पंचायतों के लिए क्रमशः 70 : 20 : 10 का अनुपात तथा आसाम वित्त आयोग ने क्रमशः 50 : 30 :20 का अनुपात तथा केरल वित्त आयोग ने क्रमशः 60 : 20 : 20 का अनुपात निर्धारित करने का सुझाव दिया है।

<u>**बार्क के सुझाव –**</u>

○ इस संबंध में बार्क का सुझाव है कि वित्त आयोग द्वारा जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के लिए जो 3 :12 : 85 का अनुपात होना चाहिए।

○ भूमि रजिस्ट्री के धन के संबंध में बार्क का सुझाव है कि भूमि रजिस्ट्री से प्राप्त राशि को तीनों स्तरों के पंचायतों के मध्य विररित किया जाना चाहिए और इसमें संबंधित ग्राम पंचायत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

<u>ग्रामीण स्थानीय निकायों को निर्बन्ध राशि (अनटाईड़ फंड) –</u>

<u>बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव</u> –

- ग्रामीण स्थानीय निकायों के पंचायत प्रतिनिधियों ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से मांग रखी कि प्रत्येक पंचायत निकाय की निर्बन्ध राशी निर्धारित की जानी चाहिए उन्होंने सुझाव दिया कि जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को क्रमशः 1 करोड, 25 लाख व 10 लाख रूपये निर्बन्ध राशि के रूप में उपलब्ध करवाई जाए।

- कुछ पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाली राशि में जिला परिषदों, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों का अनुपात जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

- जिला परिषद व पंचायत समिति को उपलब्ध निर्बन्ध राशि में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति पर खर्च की पाबन्दी समाप्त की जाये।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों के सुझाव –</u>

- ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनटाईड़ फंड की राशि जारी करने के संबंध में बिहार राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत व ग्राम पंचायत को क्रमशः 15, 1 व 2 लाख रूपये का अनुदान निर्बन्ध राशि के रूप में मिलना चाहिए।

- अनटाईड फंड किस आधार पर जारी किया जाए इस संबंध में आसाम राज्य वित्त आयोग ने ब्लॉक पंचायत व ग्राम पंचायत के मध्य राशि वितरण जनसंख्या के आधार पर ही तय करने का सुझाव दिया है।

- कमजोर आर्थिक स्थिति वाले निकायों को ध्यान मे रखते हए आसाम राज्य वित्त आयोग ने स्पेशल पर्पस ग्रान्ट स्थानीय निकायों दिए जाने तथा उसका वितरण पंचायती राज व शहरी निकायों के मध्य 80 : 20 के अनुपात में करने का सुझाव रखा है।

- स्थानीय निकायों के परर्फोमेंस के आधार पर आसाम राज्य वित्त आयोग ने इन्सेन्टिव फंड के रूप में कुछ निश्चित राशि पंचायतों व शहरी निकायों को दिए जाने का सुझाव दिया है।

बार्क के सुझाव –

- पंचायत निकायों को निर्बन्ध राशि किस आधार पर जारी की जाए इस संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों की अलग–अलग राय है। कुछ का मानना है कि एक निश्चित राशि निर्बन्ध राशि के रूप में दी जाए तथा कुछ का मानना है कि राशि जनसंख्या के आधार पर जारी की जाए। बार्क के अनुसार पंचायतों को राशि वहां की जनसंख्या व संबंधित जिले की भौगौलिक स्थिति को ध्यान में रखकर जारी की जानी चाहिए।

- यदि निर्बन्ध धन आयोजना मद से दिया जाता हो तो योजना आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत दोनों समुदायों के विकास के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए।

- बार्क का सुझाव है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को उनके कार्यकुशलता व उत्तम कार्य के आधार पर कुछ अतिरिक्त राशि पुरस्कार स्वरूप दी जा सकती है जिससे पंचायतों का मनोबल स्तर बढ़ेगा।

ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा आय के स्रोत बढ़ाने के संबंध में सुझाव व मांगें –

बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव –

- शराब के ठेकों से प्राप्त होने वाली कुल कर वसूली में से 1 से 2 प्रतिशत राशि पंचायतों को दिए जाने पर जोर दिया गया।

- राज्य द्वारा पंचायतों को अपने क्षेत्र में मोबाईल टावरों पर कर लगाने का अधिकार दिया जाये।

- निजी संस्थानों को पट्टे जारी करने से प्राप्त राशि पंचायतों को मिले।

- जिला परिषद के क्षेत्र में आने वाली पंचायतों से प्राप्त खनिजों में जिला परिषदों की रॉयल्टी बढ़ाई जाये और रॉयल्टी वितरण का एक ढांचा तैयार हो। जिसके अनुसार मुख्य खनिजों पर प्राप्त रायल्टी जिला परिषदों को दी जाए, जबकि गौण खनिजों की रायल्टी पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों को मिलनी चाहिए।

- राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को उनके क्षेत्र के टोल टैक्स में कम से कम 1 प्रतिशत हिस्सा देना सुनिश्चित किया जाये।

- सड़क निर्माण का कार्य जिला परिषदों के द्वारा भी बड़े स्तर पर किया जाता हैं, इसलिए राज्य द्वारा रोड टैक्स (सड़क कर) में भी जिला परिषदों का हिस्सा तय किया जाये जिससे जिला परिषदों की निजी आय बढ़ाई जा सके।

- पंचायत प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत क्षेत्रों में फलदार पेड़–पौधे लगाने के लिए बजट स्वीकृत किया जाए। जिससे पंचायतों की निजी आय बढने के साथ ही पर्यावरण का विकास हो।

- पंचायत क्षेत्रों में गोचर व चारागाह भूमि विकास हेतु योजना हो, जिसके लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवाई जाए।

- पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कर वसूली संबंधी प्रावधनों में स्पष्टता लाने तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के कर वसूली के अधिकार को बढ़ाने की मांग रखी गई।

- पंचायत प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को भी भूमि की रजिस्ट्री करने का अधिकार दिया जाये।

<u>सोल्युशन एक्सचेंज के सुझाव –</u>

- केरल राज्य में ग्राम पंचायतें घर, शिक्षा, उधोग, खनिज, पावर प्लांटेशन, सडक, स्ट्रीट लाईट, जल, ड्रेनेज व वाहन इत्यादि पर कर लगा कर आत्म निर्भर स्वरूप प्राप्त कर रहीं हैं। ऐसा ही अन्य राज्यों की पंचायतों द्वारा भी किया जाना चाहिए।

- पंचायत को निगमों की तरह भूमि उपयोग परिवर्तन के अधिकार देने संबंधी नियम बनाये जाएं।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों के सुझाव –</u>

- आसाम राज्य वित्त आयोग ने पंचायती राज के सभी स्तरों पर कर राजस्व को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है जिससे जनप्रतिनिधियों के वेतन, भत्ते, बैठको का खर्च व अन्य व्यय पंचायते स्वयं के स्तर पर ही वहन कर सकें।

- केरल राज्य वित्त आयोग ने अग्रिम टैक्स जमा कराने वाले उद्योगों/प्रतिष्ठानों को कर में एक प्रतिशत छूट दिए जाने की सिफारिश रखी है।

- केरल राज्य वित्त आयोग ने वर्तमान वर्ष में बेची जा रही सम्पति पर कर की 50 प्रतिशत राशि विक्रेता व 50 प्रतिशत राशि क्रेता से वसूल किए जाने का प्रावधान करने की सिफारिश की है।

<u>बार्क के सुझाव –</u>

- पंचायतों द्वारा कर लगाये जाने के प्रावधान में सकारात्मक संशोधन हो और औधोगिक क्षेत्रों में उद्योगों पर कर लगाने की व्यवस्था में स्पष्टता लाई जाये। तथा यह स्पष्ट हो किस उद्योग पर कितना कर लगाया जाये और उसके क्या आधार हों।
- बार्क का सुझाव है कि जो उद्योग/व्यक्ति/प्रतिष्ठान समय से पूर्व कर राशि जमा कर देते हैं उनको इन्सेंटिव के रूप में कर में कुछ रियायत दी जा सकती है।
- बार्क का सुझाव है कि यदि सम्पति इसी वर्ष विक्रय की गई हो तो प्रोपर्टी टैक्स की राशि 50 प्रतिशत विक्रेता व 50 प्रतिशत खरीददार से वसूल की जानी चाहिए।
- बार्क का विभिन्न अध्ययनों के आधार पर सुझाव है कि आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों की आय बढ़ाने व उनके क्षमता संवर्धन हेतू 'पेसा' एक्ट को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए।
- राज्य को टोल टैक्स से प्राप्त राशि का एक प्रतिशत जिला परिषदों को दिए जाने का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

<u>ग्रामीण स्थानीय निकायों में राशि हस्तांतरण की प्रकिया व उसमें सुधार से संबंधित मांगें व सुझाव –</u>

<u>कार्यशाला से प्राप्त सुझाव –</u>

- राज्य आयोजना का पैसा समय पर मिलना चाहिए।
- पंचायतों में निजी आय के संसाधन विकसित करने के लिए बैंक ऋण हेतू सरकार को बैंक की गारण्टी देनी चाहिए।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों की सिफरिशें</u>

- आसाम राज्य वित्त आयोग ने सुझाव रखा है कि स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि की किश्त त्रैमासिक होनी चाहिए जो कि जून से प्रारम्भ होनी चाहिए।
- आसाम राज्य वित्त आयोग ने मांग रखी है कि निर्बन्ध राशि के हस्तांतरण पर ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि पहली किश्त समाप्त होने पर ही दूसरी किश्त जारी की जाएगी।
- बिहार राज्य वित्त आयोग का सुझाव है कि स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि दो छमाही किश्तों में जारी की जाए।

बार्क के सुझाव –

- पंचायतों को आयोजना मद की राशि, जो कि वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी की जाती रही है, वह राशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही जारी की जानी चाहिए।

- बार्क का सुझाव है कि स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि के लिए राज्य सरकार ने जो त्रैमासिक किश्त का पैमाना तैयार किया है वह सर्वोत्तम है क्यों कि त्रैमासिक किश्त के आधार पर राशि जारी करने से उस राशि के खर्च पर निगरानी रखने में सहजता रहती है।

- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के खर्च पर राज्य सरकार द्वारा लगाई पाबंदीयां कम की जायें इस संबंध में केरल राज्य में प्रचलित व्यवस्था के समान व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों में संस्थापन व सामान्य प्रशासन से संबंधित सुझाव व मांगें –

बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव –

- पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें गांव की गोचर भूमि में अतिक्रमण हटाने में प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है, अतः प्रशासन द्वारा पंचायतों को अतिक्रमण हटाने में पूर्ण सहयोग दिया जाये।

- ग्राम पंचायतों में बाबू व चपरासी की नियुक्ति की जानी चाहिए।

- ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव का एक पंचायत में कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष का ही हो।

- पंचायतों को हस्तांतरित पांच विभागों की संस्थापन राशि पंचायतों के संस्थापन बजट में शामिल की जाये।

- जिला प्रमुखों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि सिंचाई विभाग का हस्तांतरण जिला स्तर पर जिला परिषद को कर दिया जाये।

- सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों ने एक मत से मांग रखी कि उनका मानदेय तथा भत्ता वर्तमान से दो या तीन गुना बढ़ाया जाना चाहिए।

अन्य राज्यों के वित्त आयोगों की सिफारिशें –

- बिहार राज्य वित्त आयोग ने मांग रखी है कि हस्तांतरित विभागों के फंड, फंग्शन व स्टॉफ का जल्दी व प्रभावी तरीके से हस्तांतरण करने पर विचार किया जाए।

<u>बार्क के सुझाव –</u>

- बार्क का सुझाव है कि वर्तमान मे पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होने से महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा इनके क्षमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- सिंचाई विभाग का कार्य पंचायतों को सौंपने के संबंध में बार्क का सुझाव है कि जब राज्य सरकार ने कृषि विभाग का कार्य पंचायतों को सौंप दिया है तो कृषि से संबंधित सिंचाईं विभाग के कार्य, विशेषकर लघु सिंचाई पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

- राज्य सरकार ने पंचायतों को 5 विभाग के कार्य पूरी तरह हस्तांतरित कर दिए हैं। राज्य सरकार को पंचायतों द्वारा इन नए कार्यों के क्रियान्वयन का अध्ययन कर इनमें आ रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

- बार्क का सुझाव है कि पंचायतों में सचिव की नियुक्ति के संबंध में विशेष नियम बनाए जाएं जिनमें स्पष्ट निर्देशित हो कि सचिव अपने निवास की पंचायत पर कार्यरत नहीं होगा और सचिव का कार्यकाल किसी पंचायत पर 2 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा जिससे सचिवों की मनमानी पर अंकुश लग सके।

<u>ग्रामीण स्थानीय निकायों में लेखा संधारण व जवाबदेही से संबंधित सुझाव व मांगें –</u>

<u>बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव –</u>

- राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि के खर्च पर राज्य सरकार द्वारा लगाई पाबंदीयां कम की जाये।

- जिला प्रमुखों ने मांग रखी कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि को प्रत्येक जिला अपनी आवश्यकता अनुसार व्यय कर सकने के लिए स्वतंन्त्र हो।

- पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि सचिव व कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनते और हिसाब नहीं देते हैं। इसके लिए राज्य सरकार कोई स्पष्ट प्रावधान लागू करे।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों के सुझाव –</u>

- आसाम राज्य वित्त आयोग ने लेखा संधारण में डबल एन्ट्री सिस्टम को अपनाने का सुझाव दिया है।

- आसाम राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक बजट बनाने व मासिक लेखा संधारण करने की सिफारिश की है।

<u>बार्क के सुझाव –</u>

- बार्क का सुझाव है कि पंचायतों को प्राप्त व खर्च राशि की मदवार जानकारी ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितिवार इंटरनेट पर उपलब्ध करवानी चाहिए।

- पंचायत प्रतिनिधियों ने सुझाव रखा कि अनटाईड़ फंड (टी.एफ.सी. व एस.एफ.सी.) की राशि खर्च करने के संबंध में पंचायतों को स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध करवाये जायें।

- पंचायतो को मासिक आधार पर अपने खाते तैयार करने चाहिए।

- राज्य सरकार को लेखा संबंधित सिंगल एन्ट्री सिस्टम को बदल कर डबल एन्ट्री सिस्टम लागू करना चाहिए

<u>ग्रामीण स्थानीय निकायों में निगरानी व पारदर्शिता से संबंधित सुझाव व मांगें –</u>

<u>बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव –</u>

- पंचायतों व हस्तांतरित पांच विभागों की कार्य निगरानी रखने के लिए सी.सी. टीवी कैमरे लगने चाहिए।

- ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा एवं पाक्षिक बैठक के मिनिट्स ऑनलाईन होने चाहिए तथा वे प्रत्येक नागरिक के लिए खुले रहने चाहिए, ताकि वे उन्हे देख सकें।

<u>सोल्युशन एक्सचेंज के सुझाव –</u>

- पंचायतों द्वारा खर्च की जाने वाली निर्बन्ध राशि पर किसी प्रकार की निगरानी नहीं होती है। अतः पंचायतों के निर्बन्ध राशि के खर्च पर निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों के सुझाव –</u>

- आसाम राज्य वित्त आयोग ने एक उच्च स्तरीय मोनिटरिंग कमेटी का गठन किए जाने की सिफारिश की है जिसमें सभी सचिव व अतिरिक्त सचिव सदस्य हों।

- केरल राज्य वित्त आयोग ने मांग रखी है कि पंचायती राज में टैक्स कलेक्शन की निगरानी की जिम्मेदारी निदेशक–पंचायती राज की होनी चाहिए।

<u>बार्क के सुझाव –</u>

- पंचायतों में प्रतिदिन उपस्थिती सुनिश्चित करने वाला उपकरण लगाया जाना चाहिए जिसमें कर्मचारियों के कार्यालय पहुंचने व कार्यालय से जाने का प्रतिदिन का ब्यौरा दर्ज हो जिसकी निगरानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाए।

- पंचायतों की बैठकों के मीनिट्स तथा पंचायतों के आय व्यय से संबंधित ब्यौरे सामान्य जन के लिए खुले रखे जाने चाहिए साथ ही पंचायतों द्वारा सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी वॉल पेन्टिग के द्वारा दी जानी चाहिए।

- पंचायती राज तथा अन्य विभाग सूचना तकनीक का उपयोग कर पंचायतों के कार्यों की बेहतर निगरानी कर सकते हैं।

<u>शहरी स्थानीय निकाय</u> –

राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से स्थानीय निकायो (ग्रामीण व शहरी) को कुल राशि तथा उस कुल राशि में से पंचायती राज निकायों व नगरीय निकायों के राशि अनुपात से संबंधित मांगें इस प्रपत्र के प्रारम्भ में पेज नः 1 पर उल्लेखित हैं। शहरी निकायों से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्राप्त सुझाव यहां दिये जा रहे हैं।

<u>शहरी स्थानीय निकायों के मध्य राशि वितरण</u> –

- तृतीय राज्य वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के मध्य राशि वितरण के लिए निम्न पैमाना तैयार किया था।

क0सं0	राशि वितरण का आधार	प्रतिशत
1	जनसंख्या	60
2	भौगोलिक क्षेत्र	20
3	बी.पी.एल.परिवार संख्या	5
4	शैक्षिणिक स्तर	5
5	अनुसूचित जाति,	5
6	अनुसूचित जन जाति	5
	कुल योग	100

<u>बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव</u> –

- स्थानीय निकायों के शहरी प्रतिनिधियों ने मांग रखी की वित्त आयोग द्वारा राशि वितरण के उपरोक्त पैमाने पर पुनः विचार किया जाए और उसमें जनसंख्या धनत्व व टैक्स में योगदान जैसे तथ्यों को भी शामिल किया जाए।

- स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से मांग रखी कि तीनों स्तरों के शहरी निकायों में से प्रत्येक के लिए निर्बन्ध राशि का एक निश्चित प्रतिशत तय किया जाए और उसके आधार पर ही उन्हे राशि उपलब्ध करवाई जाए, और उस राशि को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर वर्ष दर वर्ष बढाया जाए।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों की सिफारिशें –</u>

केरल चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय शहरी निकायों के राशि वितरण को निम्न पैमाने पर आधारित करने का सुझाव दिया है।

क0सं0	राशि वितरण का आधार	प्रतिशत
1	जनसंख्या	50
2	डिप्राईवेशन इंडेक्स	30
3	टेक्स मे योगदान	10

4	भौगोलिक क्षेत्र	10
	कुल योग	100

आसाम चतुर्थ वित्त आयोग ने स्थानीय शहरी निकायों को राशि वितरण के निम्न आधार तय करने का सुझाव दिया है।

क0सं0	राशि वितरण का आधार	प्रतिशत
1	जनसंख्या	50
2	भौगोलिक क्षेत्र	25
3	इन्फ्रास्ट्रेक्चर इंडेक्स	12.5
4	टेक्स मे योगदान	12.5
	कुल योग	100

बिहार चतुर्थ वित्त आयोग ने स्थानीय शहरी निकायों को राशी वितरण के लिए निम्न पैमाने तैयार किए है।

क0सं0	राशि वितरण का आधार	प्रतिशत
1	जनसंख्या	60
2	भौगोलिक क्षेत्र	20
3	बी.पी.एल. परिवार	20
	कुल योग	100

<u>बार्क के सुझाव</u> –

- नगरीय निकायों के राशि वितरण के संबंध में बार्क का सुझाव है कि शैक्षिणिक पिछड़ेपन तथा बी.पी.एल. परिवार संख्या के पैमानों को अधिक अंक दिए जाने चाहिए जो सम्भवतः 10, 10 हो सकते हैं। और भौगोलिक क्षेत्र के पैमाने को 20 के स्थान पर 10 अंक दिए जा सकते हैं।

- प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ निश्चित प्रतिशत राशि तय की जानी चाहिए जिसके आधार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए।

<u>शहरी स्थानीय निकायों को निर्बन्ध राशि (अनटाईड फंड)</u> –

<u>बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव</u> –

- नगर निकायों को मिलने वाला अनुदान 15 रू. प्रति व्यक्ति से बढ़कर अब कम से कम 125–150 रू. प्रति व्यक्ति होना चाहिए।

- जे.डी.ए. व इसी प्रकार की अन्य एजेन्सीज को विकास मद में जो राशि राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है उसी प्रकार उस विकास मद की राशि के अनुपात में 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि संबंधित स्थानीय शहरी निकाय को रखरखाव हेतू मिलनी चाहिए।

- वित्त आयोग के द्वारा शहरी निकायों को जो राशि निर्बन्ध राशि के रूप में जारी की जाए उसके खर्च पर सरकार का प्रतिबन्ध ना हो।

- वित्त आयोग द्वारा दुकान निर्माण, वृक्षारोपण व ठोस कचरा प्रबंधन के कार्य के लिए अनटाईड राशि जारी की जानी चाहिए।

- पुरातात्विक महत्व के निकायों को हैरीटेज सिटी के आधार पर अलग से राशि प्रदान की जानी चाहिए।

- अधिक आबादी वाले शहरी निकायों को सीवर लाईन सुधारने व उसके सुव्यवस्थित संचालन करने के लिए अलग से राशि प्रदान की जानी चाहिए।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों की सिफारिशें</u> –

- अनटाईड फंड के संबंध में बिहार राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश रखी है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉन्सिल, व नगर पंचायत को क्रमशः 1 करोड़, 50 लाख व 20 लाख रूपये का अनुदान निर्बन्ध राशि के रूप में मिलना चाहिए।

- केरल राज्य वित्त आयोग ने कमजोर स्थिति वाले शहरी निकायों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतू कुल विकास फंड की 10 प्रतिशत राशि दिए जाने का सुझाव रखा है।

- नगरीय सफाई व्यवस्था के संबंध में केरल राज्य वित्त आयोग ने शहरी निकायों को सफाई की सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए अलग से राशि जारी की जाने की सिफारिश रखी है।

<u>बार्क के सुझाव</u> –

- नगर निकायों को मिलने वाली प्रति व्यक्ति राशि पर राज्य वित्त आयोग को पुनः विचार करना चाहिए क्यों कि यह प्रति व्यक्ति राशि राज्य सरकार द्वारा कई वर्षों पहले 15 रू. निर्धारित की गई थी।

- कमजोर स्थानीय शहरी निकायों को एक मुश्त राशि की सहायता देकर उनकी स्थिति मजबूत किए जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

- पुरातात्विक महत्व के आधार पर केवल बड़े ही नहीं छोटे शहरों को भी अलग से राशि प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास हो सके।

<u>स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्वयं के आय के स्रोत बढ़ाने के संबंध में सुझाव व मांगें</u> –

<u>बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव</u> –

- शहरी क्षेत्रों में खनिज सम्पदा की रॉयल्टी का 1 से 2 प्रतिशत संबंधित शहरी निकाय को मिलना चाहिए।

- शहरी निकायों को अपनी सीमा में आने वाले विवाह स्थलों पर कर लगाकर निजी आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

- शहरी निकायों की सीमा में आने वाले मोबाईल टावर्स पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

- यू.डी. (अरबन डवलपमेंट) का टैक्स लगाया जाना चाहिए जो कि उस संबंधित क्षेत्र के बिजली के बिल की राशि के साथ जोड़ कर वसूल किया जाना चाहिए।

- परिवहन कर में संबंधित नगर निकायों को हिस्सा दिया जाना चाहिए।

- राज्य द्वारा शहरी निकायों के आवासीय क्षेत्रों में हाऊस टैक्स लागू किया जाए।

- भूमि में नाम परिवर्तन व बिल्डिंग निर्माण की अनुमति पर हेतू टैक्स लगना चाहिए, जो कि नगर निकायों को प्राप्त होना चाहिए।

- अनाज मंडी व सब्जी मंडी के कर राजस्व का पैसा संबंधित नगर निकाय को मिलना चाहिए।

- सिवायचक जमीनें निशुल्क रूप से जे.डी.ए. के स्थान पर स्थानीय शहरी निकायों को दी जाएं।

- सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि उनके संबंधित क्षेत्र में लैन्ड बैंक कायम होना चाहिए जिससे निकाय की निजी आय बढ़ाई जा सके।

- शहरी निकायों द्वारा पट्टे जारी करने की प्रकिया को सरल किया जाए।

- शहरी निकायों को भूमि का पट्टा जारी करके उससे निजी आय प्राप्त करने का अधिकार हो।

<u>सोल्युशन एक्सचेंज के सुझाव –</u>

- टैक्स का डेटा कम्प्यूटराईज्ड व ऑनलाईन होना चाहिए जिसमें सभी टैक्स अदा करने वालों व टैक्स डिफॉल्टर की जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। कलकत्ता में ऐसे ही प्रयोग के आधार पर टैक्स में 30 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की गई।

- प्रोपर्टी टैक्स से संबंधित बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार कलकत्ता में प्रोपर्टी टैक्स बोर्ड का गठन किया गया है जो नो प्रोफिट व नो लॉस पर कार्य करता है।

<u>अन्य राज्यों के वित्त आयोगों के सुझाव</u>

- केरल राज्य वित्त आयोग ने शहरी निकायों द्वारा हॉर्डिंग्स पर कर लगाये जाने को स्पष्ट करने व हॉर्डिंग्स के साईज के आधार पर कर निर्धारण का सुझाव रखा है।

बार्क के सुझाव –

- शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा आय के स्रोत बढ़ाने के संबंध में जो मांगें रखी गई वे सभी मांगें वास्तविकता के अत्यंत निकट है और राज्य को उन पर विचार किया जाना चाहिए उपरोक्त मांगों के अतिरिक्त बार्क के सुझाव निम्न प्रकार हैं।

- स्थानीय शहरी निकायों को विज्ञापन कर को पुनः नये मूल्यों के साथ लागू करना चाहिए और शहर मे होर्डिंस पर साईज के आधार पर टैक्स लगाया जाना चाहिए।

शहरी स्थानीय निकायों में राशि हस्तांतरण की प्रकिया व उसमें सुधार से संबंधित मांगें व सुझाव –

बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव –

- नगर निकायों के पुराने कर्जे माफ किए जाएं तथा आर्थिक अनुदान की राशि बढ़ाई जाए।

- घाटे में चल रहे निकायों को अतिरिक्त एक मुश्त राशि अनुदान के रूप में मिले, जिससे कि उन निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

- केन्द्र व राज्य सरकार की योजना के निर्माण व क्रियान्वयन में शहरी निकायों की भूमिका होनी चाहिए।

- शहरी निकायों में भी महानरेगा जैसी बडी रोजगारोन्मुखी योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। जिससे शहरी बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके।

अन्य राज्यों के वित्त आयोगों की सिफरिशें

- आसाम राज्य वित्त आयोग ने सुझाव रखा है कि निकायों को दी जाने वाली राशि की किशत त्रैमासिक होनी चाहिए जो कि जून से प्रारम्भ होनी चाहिए।

- बिहार राज्य वित्त आयोग का सुझाव हैं कि स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि दो छमाही किश्तों में जारी की जाए।

बार्क के सुझाव –

- बार्क का सुझाव है कि शहरी निकायों को भी पंचायतों की तरह अत्यधिक टैक्स कलेक्शन के आधार पर पुरस्कार राशि दी जानी चाहिए जिससे शहरी निकाय टैक्स प्राप्त करने में रूचि लें।

- बार्क का सुझाव है कि स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि के लिए राज्य सरकार ने जो त्रैमासिक किश्त का पैमाना बनाया है वह सर्वोत्तम है क्यों कि त्रैमासिक आधार पर राशि जारी करने से उस राशि के खर्च पर निगरानी करने में सहजता रहती है।

<u>शहरी स्थानीय निकायों में संस्थापन व सामान्य प्रशासन से संबंधित सुझाव व मांगें –</u>

<u>बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव –</u>

- नगर निकायों में प्रचलित पुर्नठेका प्रथा में बदलाव किया जाए और नये नियमों के आधार पर ठेका प्रवृति लागू की जाए।
- नगर निकायों द्वारा भवन निर्माण का नक्शा पास करने के बाद ही नल व बिजली का अस्थाई कनेक्शन दिया जाए व शहरी निकायों से एन.ओ.सी. लेने के बाद ही स्थाई कनेक्शन जारी किया जाए।
- पानी सप्लाई की व्यवस्था व उसका संपूर्ण क्रियान्वयन नगर निकायों को दिया जाए।
- शहरी निकायों के लिए मेडिकल बजट की राशि बहुत कम है, उसे बढाया जाना चाहिए।
- नगरीय क्षेत्रों में सफाई की राशि बिजली के बिलों में जोड़ी जाए।
- नगर निकायों के सफाई कर्मियों के क्षमता संवर्धन हेतू अलग से राशि जारी की जानी चाहिए।
- जनसंख्या के आधार पर शहरी निकायों में कर्मचारियों की संख्या तय की जाए और उनकी नियुक्ति शीघ्र की जाए।
- पंचायतों की ही तरह स्थानीय शहरी नगर निकायों को भी कुछ संबंधित विभागों का पूर्ण रूप से हस्तांतरण होना चाहिए।
- शहरी निकायों द्वारा अतिक्रमण रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सामुदायिक भवनों की राशि बढ़ाने के साथ ही उनकी वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।
- नगर निकायों में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति स्थाई रूप में की जाए।
- शहरी निकायों के भू परिवर्तन तथा एन.ओ.सी. के बाद ही भूमि की रजिस्ट्री होनी चाहिए।
- आपदा प्रबंधन के समय मुआवजे का पैसा कलेक्ट्र के स्थान पर संबंधित नगर निकाय के प्रतिनिधी को मिलना चाहिए।
- पिछले 3–4 वर्ष से नगर निकायों को अनुदान राशि नहीं मिल रही, जिससे कि स्थानीय शहरी निकायों की स्थिति कमजोर होती जा रही है अतः वह बकाया राशि जल्दी ही प्रदान की जाए।

शहरी स्थानीय निकायों में लेखा संधारण व जवाबदेही से संबंधित सुझाव व मांगें –

बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव –

- भूमि (लैन्ड़) से संबंधित कॉमर्शियल कन्वरसेशन का एक्ट लचीला होना चाहिए।
- किसी शहरी क्षेत्र की सीमा में संबंधित शहरी निकाय व जे.डी.ए. उस क्षेत्र के विकास कार्य हेतू जिम्मेदार होते हैं, लेकिन राज्य द्वारा शहर की चारदीवारी से बाहर के क्षेत्रों के विकास कार्य हेतू जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।
- नगरीय क्षेत्र में जिस समय अतिक्रमण हुआ है, उस समय कार्यरत संबंधित अधिकारी की जवाबदारी निश्चित की जाए।
- कर्मचारियों के खर्चे सरकार द्वारा वहन किये जाऐ जबकि उनकी जिम्मेदारी व जवाबदेही नगर निकायों के प्रति होनी चाहिए।

स्थानीय शहरी निकायों में निगरानी व पारदर्शिता से संबंधित सुझाव व मांगें –

बार्क कार्यशाला से प्राप्त सुझाव –

- शहरी निकायों में सफाई से संबंधित गाड़ियों में जी.पी.एस. सिस्टम लगाया जाना चाहिए जिससे कि पेट्रोल की गड़बड़ी तथा काम की लापरवाही में सुधार हो, इस मामले में कोटा नगर निगम द्वारा अपनाये गये तरीके को सभी निकायों में लागू करने की मांग रखी गई।
- नगर निकायों को अपने क्षेत्र में कम्प्युटराईजेशन के लिए अलग से राशि प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनके कार्य में पारदर्शिता रहे।
- राज्य द्वारा नई कॉलोनियों की योजना बनाते समय उनमें हॉस्पिटल व अन्य सुविधाओं की जगह सुरक्षित रखी जाए।
- शहरी निकायों के विकास को ध्यान में रखकर वहां नई सुविधाओं वाले मेडिकल कॉलेज इत्यादि खोले जाएं।

अन्य राज्यों के वित्त आयोगों के सुझाव –

- केरल राज्य वित्त आयोग ने मांग रखी है कि नगरीय निकायों में टैक्स कलेक्शन की निगरानी की जिम्मेदारी निदेशक–नगरीय विकास की होनी चाहिए।